

भू-तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उत्तर प्रदेश

ई.-एम.एम.-11 ऑनलाइन जेनेरेट करने के लिये वेब पोर्टल का निर्माण किया गया है, इस पोर्टल का एड्रेस <http://upmines.upsdc.gov.in/> है। इस पोर्टल द्वारा ऑनलाइन ई.-एम.एम.-11 के विषय में सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न तथा उनके उत्तर निम्नलिखित हैं।

प्रश्न :- ई.-एम.एम.-11 क्या है?

उत्तर:- पूर्व प्रक्रिया में उल्लिखित एम.एम.-11 को नवीन कम्प्यूटरीकरण प्रक्रिया के बाद ई.-एम.एम.-11 के नाम से ही जाना जायेगा।

प्रश्न :- ई.-एम.एम.-11 कैसे प्राप्त होगा?

उत्तर:- ऑनलाइन व्यवस्था के तहत निर्धारित प्रक्रिया(वेबसाइट पर उपलब्ध मनुअल के अनुसार) पूर्ण करने के पश्चात् जनित ई.-एम.एम.-11 एक पी.डी.एफ. फाइल के रूप में कंप्यूटर पर संरक्षित हो जायेगा इसमें वह समस्त चीज़ें प्रिंट रहेंगी जो कि पूर्व में एम.एम.-11 पर होती थी साथ-साथ इस पर खनिज ले जाने वाले वाहन का गन्तव्य व पहुंचने का समय भी अंकित होगा।

प्रश्न :- ई.-एम.एम.-11 में उल्लिखित गन्तव्य व समय का क्या प्रयोग है?

उत्तर:- ऑनलाइन व्यवस्था में गन्तव्य व पहुंचने का समय अंकित होने का उद्देश्य यह है कि यात्रा के दौरान किसी अथवा गन्तव्य जनपद के प्रवर्तन दल द्वारा जाँच में खनिज की ढुलाई की वैधता सुनिश्चित की जा सके एवं गन्तव्य पर पहुंचने का समय व्यतीत हो जाने के पश्चात् ढुलाई को अवैध माना जाये।

प्रश्न :- ई.-एम.एम.-11 प्राप्त करने हेतु एक वैध परिहार धारक के पास क्या-क्या होना आवश्यक है?

उत्तर:- ऑनलाइन व्यवस्था के तहत निर्धारित प्रक्रिया का इस्तेमाल करने हेतु वैध परिहार धारक के पास मोबाइल एवं आधार संख्या का होना अति आवश्यक है।

ताकि उसके द्वारा रजिस्टर्ड मोबाइल का उपयोग OTP इत्यादि प्राप्त करने हेतु किया जा सके। कंप्यूटर व इंटरनेट व्यक्तिगत अथवा साइबर कैफे पर प्रयोग किया जा सकता है।

प्रश्न :- ई.-एम.एम.-11 प्राप्त करने हेतु खनिज के विरुद्ध रायल्टी/शुल्क का भुगतान किस प्रकार किया जायेगा।

उत्तर:- ऑनलाइन व्यवस्था में रायल्टी/शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन ही सम्भव है।

प्रश्न :- रायल्टी/शुल्क के ऑनलाइन भुगतान हेतु कौन-कौन से माध्यम स्वीकार्य हैं?

उत्तर:- रायल्टी/शुल्क के भुगतान हेतु पोर्टल पर लॉगिन करने के उपरान्त कोई भी वैध परिहार धारक अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड अथवा नेट बैंकिंग से ऑनलाइन भुगतान कर सकता है।

प्रश्न :- रायल्टी/शुल्क का ऑनलाइन भुगतान परिहार धारक क्या केवल एक ही वाहन हेतु करेगा।

उत्तर:- नहीं, वैध परिहार धारक किसी भी मात्रा के लिये अनुमन्य रायल्टी/शुल्क जमा कर सकता है तत्पश्चात जितनी भी मात्रा के ई.-एम.एम.-11 परिहार धारक जेनेरेट करता रहेगा वह धनराशि के विरुद्ध संकलित मात्रा से कम होती रहेगी। मात्रा उठान हेतु बहुत कम बचने की दशा में पोर्टल परिहार धारक को एक पूर्व सूचना भी देगा।

प्रश्न :- रायल्टी/शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करते समय यदि ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है एवं धनराशि खाते से कट जाती है उस दशा में क्या करना होगा।

उत्तर:- राजकीय कोषागार हेतु समस्त ट्रांजेक्शन भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रबंधित किये जाते हैं, ट्रांजेक्शन फेल होने कि दशा में भारतीय स्टेट बैंक को ट्रांजेक्शन आई.डी. के साथ सूचित करें।

प्रश्न :- क्या रायल्टी/शुल्क का भुगतान कैश/नक़द किया जा सकता है?

उत्तर:- नहीं, ऑनलाइन व्यवस्था के तहत निर्धारित प्रक्रिया में यह वैध नहीं है।